

प्रपत्र-236.3

परियोजना का नाम- खजूरखाल-हिसलानी-निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदढ मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम-
तहसील गैरसैण जनपद-चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में खजूरखाल-हिसलानी-निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदढ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु अरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि-...है० सिविल वन भूमि-...है० कुल...है० का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत...द्वारा दिनांक...को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि...है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०
ग्राम सचिव
सदस्य ग्राम पंचायत
ब्लॉक सं० 29 कोड 1
वि०का गैरसैण (चमोली)



नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।

प्रारूप-30.4

दिनांक 04/05/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तिगुनपानी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
2	कौशल्या देवी	कौशल्या देवी
3	नन्दा देवी	नन्दा देवी
4	जयन्ती देवी	जयन्ती देवी
5	जानकी देवी	जानकी देवी
6	आशा देवी	आशा देवी
7	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
8	इन्द्रा देवी	इन्द्रा देवी
9	कमला देवी	कमला देवी
10	रुकमा देवी	रुकमा देवी
11	पार्वती देवी	पार्वती देवी
12	मोहन राम	मोहन राम
13	कमला देवी	कमला देवी
14	संज देवी	संज देवी
15	शान्ति देवी	शान्ति देवी
16	चन्द्रा देवी	चन्द्रा देवी
17		
18		


ग्राम पंचायत कोटा
ह0/ह0
दिनांक 04/05/17
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.4

दिनांक 04/05/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतशोरावानी.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेंद्र प्रसाद	राजेंद्र प्रसाद
2	बालू सिंह	बालू सिंह
3	कुंजी देव	कुंजी देव
4	विनीत सिंह	विनीत सिंह
5	सौजन सिंह	सौजन सिंह
6	दीपा देवी	दीपा देवी
7	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
8	राकेश सिंह	राकेश सिंह
9	आमन सिंह	आमन सिंह
10	मनोष सिंह	मनोष सिंह
11	कलम सिंह	कलम सिंह
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		



प्रारूप-30.4

दिनांक ०५/०५/१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ... निगलानी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिव सिंह	शिव सिंह
2	जोबिन्द सिंह	जोबिन्द सिंह
3	कमल सिंह	कमल सिंह
4	राम	Ram
5	चन्द्र देवी	चन्द्र देवी
6	मंजू देवी	मंजू देवी
7	प्रावरी देवी	प्रावरी देवी
8	रेखा देवी	रेखा देवी
9	राम सिंह	Ram Singh
10	गुण	गुण
11	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
12	देव सिंह	देव सिंह
13	सुन्दरी देवी	सुन्दरी देवी
14	सुन्दरी देवी	सुन्दरी देवी
15	दिनेश सिंह	Dinesh Singh
16	मनवीर सिंह	मनवीर सिंह
17	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
18	हरिश सिंह	हरिश सिंह
19	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह

ह0/-



प्रपत्र

दिनांक 05/04/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम:- हिसलानी (कल्याणा)

[illegible]

प्रारूप-30.4

दिनांक 01/05/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...निगलानी...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिव सिंह	शिव सिंह
2	जोबिन्द सिंह	जोबिन्द सिंह
3	कमल सिंह	कमल
4	राम	Ram
5	चन्द्र देवी	चन्द्र देवी
6	मंजू देवी	मंजू
7	प्रावरी देवी	प्रावरी
8	रेखा देवी	रेखा
9	राम सिंह	Ram Singh
10	गुण	Guhan
11	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
12	देव सिंह	देव सिंह
13	लक्ष्मी	लक्ष्मी
14	सुन्दरी देवी	सुन्दरी देवी
15	दिनेश सिंह	Dinesh Singh
16	मनवीर सिंह	मनवीर सिंह
17	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
18	हरेश सिंह	हरेश सिंह
19	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह

ह0/-



प्रारूप-30.2

61

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में खजूरखल से हिसलानी
निगलानी विमलानी गोगनाली डमढ़ 2.975 हे० वन
भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 6.00 किमी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण पक्षेत्र के अन्तर्गत खजूरखल से हिसलानी-निगलानी-विमलानी-गोगनाली
डमढ़ खजूरखल से हिसलानी हे० वन भूमि (2.975 हे०) आरक्षित वन भूमि (2.625
हे०) सिविल सोयम वन भूमि (0.35 हे०) वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.975 हे० वन भूमि) का लोक
निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों
की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-गैरसैण) की दिनांक
13-1-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विमलानी
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में
माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विमलानी उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री विमलानी उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री विमलानी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री विमलानी डी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि खजूरखल से हिसलानी
निगलानी-विमलानी-गोगनाली-डमढ़ परियोजना हेतु 2.975 हे० वन भूमि लोक
निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित
प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तरसम्बंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट
करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार
का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी
है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण पक्षेत्र के अन्तर्गत खजूरखल से हिसलानी
निगलानी-विमलानी-गोगनाली-डमढ़ परियोजना के निर्माण हेतु 2.975 हे०
वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में रक्षक प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-गैरसैण
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, गैरसैण को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated--27-02-15

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guide lines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.975 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Khajurkhal Niglani Timulpani Gognani To Damdarh Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Niglani, Timulpani, Gognani, Damdarh village in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.975 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Niglani, Timulpani, Gognani, Damdarh villages is enclosed.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.



 (Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, Chamoli..... on dated 27/02/15... at time 12.00 PM at Gopeshwar in which application claiming rights in Gopeshwar area measuring 2.975 hect for the construction of Khajurkhal Niglani Timulpani Gognani To Damdarh Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Niglani, Timulpani, Gognani, Damdarh sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 27/02/15...


Deputy Commissioner - Chairman
District Level Committee
Chamoli

(57)

Government Of Uttarakhand
Office Of the District Collector : Chamoli

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF) , Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects.It is certified that ----- Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Khajurkhal in Nigiani-Timulpani-Gognani-Damdad Motor Road 6.00 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ----- Hect of civil area proposed for diversion .A copy of records of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(S.A. Murugesan, District Magistrate Chamoli)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated-27.02.15

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.975 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Khajurkhal Niglani Timulpani Gognani To Damdarh Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Niglani, Timulpani, Gognani, Damdarh villages in Gairsain tehsil. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.975 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
चमोली

(Full name and official post of the District Collector)